



प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ::दिनांक 24 जुलाई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संO-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 31 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मुO-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 31 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रूO 30,72,74,000/- (रूपये तीस करोड़ बहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संO-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्रOसंO	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	23772/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	17-07-2026
2	23776/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2026-27	17-07-2026
3	23790/CE-HQ1/RSN5054/BAN/2026-27	17-07-2026
4	23792/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2026-27	17-07-2026
5	23805/CE-HQ1/RSN5054/BAN/2026-27	20-07-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र०सं०	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
6	23806/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2026-27	20-07-2026
7	23811/CE-HQ1/RSN5054/JHA/2026-27	20-07-2026
8	23816/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2026-27	20-07-2026
9	23862/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2026-27	21-07-2026
10	23869/CE-HQ1/RSN5054/JHA/2026-27	21-07-2026
11	23872/CE-HQ1/RSN5054/BAS/2026-27	21-07-2026
12	23904/CE-HQ1/RSN5054/BAN/2026-27	22-07-2026
13	23910/CE-HQ1/RSN5054/AZM/2026-27	22-07-2026

तालिका-2

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्राथमिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुक्षण की लागत	बचत एवं अनुक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	नि.ख. मेरठ	रोहटा रोड से रासना मार्ग (अ०जि०मा०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	449 /2025/आई/110 7888/23-1- 25/006-23- 1002(002)/184/ 2025 -दिनांक- 04-10-2025	<u>496.95</u> <u>496.95</u> <u>286.64</u> <u>1.96</u> <u>494.99</u>	98.44	12.51	384.04	20.00
2	नि.ख. मेरठ	मेरठ मवाना पौड़ी मार्ग के चैनेज 5.800 से 7.700 एवं चैनेज 7.900 से 11.500 तक (अ०जि०मा०) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य। (नि०ख० मेरठ 7.900 से 11.500 तक) मूल स्वीकृत लागत ₹० 3934.08 लाख	711/2025/आई/ 1191292/23-1- 25/001-23- 1002(002)/213 /2025-दिनांक- 31-12-2025	<u>3348.09</u> <u>3348.09</u> <u>1734.34</u> <u>1.77</u> <u>3346.32</u>	318.12	59.56	2968.64	240.00
3	नि.ख. मेरठ	बागपत रोड डालूहेडा से बहरामपुर स्कैप तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/125 2367/23-1- 26/001-23- 1002(002)/84/2 026-दिनांक-27- 02-2026	<u>300.73</u> <u>300.73</u> <u>156.39</u> <u>0.80</u> <u>299.93</u>	114.09	19.02	166.82	30.00
4	नि.ख.-2 गाजियाबाद	मोदीनगर हापुड मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-148 डबल) के मार्ग के चैनेज 0.625 से 13.00 तक 02 लेन विद पेड	699 /2025/आई/118 4377/23-1- 25/001-23- 1002(002)/211/ 2025-दिनांक- 23-12-2025	<u>3862.06</u> <u>3862.06</u> <u>2155.65</u> <u>87.30</u> <u>3774.76</u>	1079.67	65.32	2629.77	320.00

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुक्षण की लागत	बचत एवं अनुक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		शोल्डर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।						
5	नि.ख.-2 गाजियाबाद	जनपद गाजियाबाद में मुरादनगर रावली सुराना मार्ग के चैनेज 0.000 से 5.000 तक में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	157 /2026/आई/126 4588/23-1- 26/001-23- 1002(002)/146/ 2026-दिनांक- 13-03-2026	<u>1998.80</u> <u>1998.80</u> <u>629.98</u> <u>25.50</u> <u>1973.30</u>	597.91	19.64	1355.75	379.60
6	नि.ख.-1 वाराणसी	हरसोस सुईचक गंगापुर मार्ग 1.05 किमी के चैनेज 2.000 से 3.050 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	178 /2025/आई/922 673/23-1- 25/001-23- 1002(002)/92/2 025-दिनांक-29- 03-2025	<u>2498.58</u> <u>2498.58</u> <u>260.24</u> <u>96.60</u> <u>2401.98</u>	1047.89	10.80	1343.29	240.00
7	प्रा.ख. हमीरपुर	भयानी डेरा से लदार संपर्क मार्ग पर छूटी कडी का नवनिर्माण कार्य।	271/2026/आई/ 1285128/23-1- 26/001-23- 1002(002)/163/ 2026-दिनांक- 31-03-2026	<u>192.45</u> <u>192.45</u> <u>124.67</u> <u>13.47</u> <u>178.98</u>	31.01	12.34	135.63	50.00
8	नि.ख. अमेठी	रामनगर रा0ग्या0 दमनपुर) सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण का कार्य	120 /2026/आई/125 2367/23-1- 26/001-23- 1002(002)/84/2 026-दिनांक-27- 02-2026	<u>167.60</u> <u>167.60</u> <u>127.52</u> <u>0.13</u> <u>167.47</u>	91.81	11.45	64.21	47.46
9	नि.ख.-2 हमीरपुर	जरिया-मुस्करा वाया सरीला मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-56वी) में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	499 /2025/आई/112 6456/23-1- 25/001-23- 1002(002)/172/ 2025-दिनांक- 29-10-2025	<u>2678.54</u> <u>2678.54</u> <u>1338.56</u> <u>798.26</u> <u>1880.28</u>	551.50	63.49	1265.29	120.00
10	प्रा.ख. बांदा	बांदा नरैनी (राज्य मार्ग सं० 113) से प्रारम्भ होकर एन0एच0-35 को क्रास करते हुए बांदा बिसण्डा (राज्य मार्ग सं० 133) तक मार्ग के किमी 1 से 8(100) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	145 /2026/आई/124 5021/23-1- 26/001-23- 1002(002)/90/2 026-दिनांक-10- 03-2026	<u>1869.56</u> <u>1869.56</u> <u>1330.64</u> <u>1.03</u> <u>1868.53</u>	208.12	38.33	1622.08	90.00
11	प्रा.ख. मेरठ	मवाना जयसिंहपुर मिर्जापुर मार्ग से मा0 भद्रकाली मन्दिर मार्ग का निर्माण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	142/2021/87 रासनि/23-1-21- 71 रासनि/20- दिनांक-21-06- 2021	<u>997.84</u> <u>997.84</u> <u>304.47</u> <u>57.84</u> <u>940.00</u>	442.42	0.00	497.58	100.00

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुक्षेप की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	प्रा.ख. मेरठ	खरखौदा मोहिउद्दीनपुर से गेझा सिवालखास (अन्य जिला मार्ग) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	487 /2025/आई/112 4327/23-1- 25/001-23- 1002(002)/238/ 2025 -दिनांक- 27-10-2025	<u>2494.36</u> <u>2494.36</u> <u>1359.52</u> <u>200.00</u> <u>2294.36</u>	624.15	52.82	1617.39	120.00
13	प्रा.ख. मेरठ	कबूलपुर से आश्रम मंदिर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	118 /2026/आई/125 2972/23-1- 26/001-23- 1002(002)/81/2 026-दिनांक-26- 02-2026	<u>138.16</u> <u>138.16</u> <u>78.26</u> <u>6.39</u> <u>131.77</u>	21.44	9.44	100.89	25.00
14	प्रा.ख. मेरठ	ग्राम जैनपुर से शताब्दीनगर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग तक नव निर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/125 2367/23-1- 26/001-23- 1002(002)/84/2 026-दिनांक-27- 02-2026	<u>15.64</u> <u>15.64</u> <u>9.44</u> <u>1.93</u> <u>13.71</u>	8.73	1.06	3.92	2.00
15	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में बडौत छपरौली टाण्ड मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का हरियाणा सीमा तक (चै० 0.000 से 20.765 कि०मी०) में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	542/2025/1131 253/23-1- 25/001-23- 1002(002)/195/ 2025-दिनांक- 03-11-2025	<u>4994.77</u> <u>4994.77</u> <u>3124.03</u> <u>0.45</u> <u>4994.32</u>	2048.28	105.88	2840.16	150.00
16	प्रा.ख. बागपत	टटीरी से दुडभा मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/125 2367/23-1- 26/001-23- 1002(002)/84/2 026-दिनांक-27- 02-2026	<u>142.25</u> <u>142.25</u> <u>76.10</u> <u>4.00</u> <u>138.25</u>	82.63	9.72	45.90	20.00
17	प्रा.ख. बागपत	ग्राम मुकारी से दत्तनगर कहरका मार्ग तक मार्ग का निर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/125 2367/23-1- 26/001-23- 1002(002)/84/2 026-दिनांक-27- 02-2026	<u>130.68</u> <u>130.68</u> <u>68.98</u> <u>2.39</u> <u>128.29</u>	96.09	8.85	23.35	10.52
18	प्रा.ख. बागपत	गांव ककौर खुर्द में रजनेश पुत्र भगवानशा के घर से ककौरकलां सबगा नहर पुलिया तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/125 2367/23-1- 26/001-23- 1002(002)/84/2 026-दिनांक-27- 02-2026	<u>97.38</u> <u>97.38</u> <u>53.12</u> <u>3.80</u> <u>93.58</u>	84.54	6.60	2.44	2.44
19	प्रा.ख. बागपत	गोरखनाथ मन्दिर भगवानपुर नांगल से इंदरीशपुर तक मिसिंग	120 /2026/आई/125 2367/23-1- 26/001-23-	<u>40.70</u> <u>40.70</u> <u>22.25</u> <u>3.45</u>	21.90	2.75	12.60	8.88

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		लिनिका नवनिर्माण का कार्य	1002(002)/84/2 026-दिनांक-27-02-2026	<u>37.25</u>				
20	प्रा.ख. बागपत	गुराना से हिलवाडी, औसिका, सुजरा, निरोजपुर होते हुए गुफा मंदिर तक संपर्क मार्ग का नवनिर्माण	271/2026/आई/1285128/23-1-26/001-23-1002(002)/163/2026-दिनांक-31-03-2026	<u>922.03</u> <u>793.43</u> <u>485.07</u> <u>0.00</u> <u>793.43</u>	10.00	48.10	735.33	72.00
21	नि.ख.-3 जालौन	उरई-चुखी सिमहारा पाल सरैनी मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-047 बी0) के किमी0 2 (500) से 16 व 17 (500) तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	559 /2025/आई/113 9750/23-1-25/001-23-1002(002)/189/2025-दिनांक-11-11-2025	<u>3623.78</u> <u>3623.78</u> <u>1993.37</u> <u>8.17</u> <u>3615.61</u>	1136.42	59.51	2419.68	300.00
22	नि.ख.-2 जौनपुर	छतीसा खुर्द कहार बस्ती सम्पर्क मार्ग	120 /2026/आई/125 2367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	<u>88.47</u> <u>88.47</u> <u>62.58</u> <u>6.35</u> <u>82.12</u>	4.12	5.99	72.01	60.00
23	नि.ख.-2 जौनपुर	सिकरारा बरईपार मार्ग अन्य जिला मार्ग के चैनेज 0.000 से 13.110 तक मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य ।	159 /2026/आई/126 6198/23-1-26/001-23-1002(002)/152/2026 -दिनांक-13-03-2026	<u>1961.33</u> <u>1781.57</u> <u>1438.59</u> <u>41.29</u> <u>1740.28</u>	1396.54	42.23	301.51	76.49
24	नि.ख.-3 बाराबंकी	देवा में देवा सददीपुर मार्ग (अ0जि0जमा0) (लम्बाई 9.750 कि0मी0) के किमी 0.000 से 9.750 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	131 /2025/आई/905 925/23-1-25/001-23-1002(002)/67/2025 -दिनांक-12-03-2025	<u>2551.31</u> <u>2551.31</u> <u>1040.88</u> <u>87.57</u> <u>2463.74</u>	2192.27	52.33	219.14	88.97
25	नि.ख. अमेठी	माठागांव से राजापट्टी सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण का कार्य।	120 /2026/आई/125 2367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	<u>79.63</u> <u>79.63</u> <u>63.52</u> <u>0.10</u> <u>79.53</u>	13.71	5.39	60.43	50.00
26	प्रा.ख. झांसी	लो0नि0वि0 की सड़कें (सर्किट हाउस, आफिसर्स कॉलोनी, मुख्य अभियंता परिसर की सड़कें) में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	739 /2024/आई/835 995/23-1-24/001-23-1002(002)/230/2024 -दिनांक-28-12-2024	<u>128.89</u> <u>128.89</u> <u>75.53</u> <u>15.00</u> <u>113.89</u>	100.25	3.07	10.57	10.57

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावधिक/गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वष्रीय अनुक्षण की लागत	बचत एवं अनुक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	प्रा.ख. झांसी	मऊ गरौठा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के चैनेज 0.369 से 11.000 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	121/2025/आई/894682/23-1-25/002-23-1002(002)/28/2025-दिनांक-28-02-2025	<u>1410.21</u> <u>1410.21</u> <u>678.88</u> <u>252.00</u> <u>1158.21</u>	945.70	31.73	180.78	102.00
28	प्रा.ख. बस्ती	गोटवा चिलमा ऊंजी वाया उमरिया मार्ग (किमी 17 से 21.4) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	71/2024/आई/507291/23-1-24/002-23-1002(002)/217/2023-दिनांक-28-02-2024	<u>1098.75</u> <u>1098.75</u> <u>555.02</u> <u>199.54</u> <u>899.21</u>	771.19	0.00	128.02	76.81
29	प्रा.ख. हमीरपुर	शेखपुर बचरौली से काली माई का डेरा मार्ग का नव निर्माण कार्य	120/2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	<u>89.86</u> <u>89.86</u> <u>54.90</u> <u>6.19</u> <u>83.67</u>	29.26	4.60	49.81	40.00
30	प्रा.ख. हमीरपुर	डामर से कुशाउलीपुरवा मार्ग का नव निर्माण कार्य	120/2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	<u>289.53</u> <u>289.53</u> <u>223.48</u> <u>2.08</u> <u>287.45</u>	60.59	17.79	209.07	100.00
31	नि.ख. मऊ	कोपागंज कसारा मार्ग के (अ०जि०मा०) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	233/2026/आई/1284946/23-1-26/001-23-1002(002)/211/2026-दिनांक-30-03-2026	<u>949.82</u> <u>934.41</u> <u>478.44</u> <u>32.08</u> <u>902.33</u>	46.47	20.49	835.37	120.00
कुल योग-								3072.74

- (1) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यो के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।
- (2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (3) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।
- (4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।
- (5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।
- (6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय जाप सं0-1/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यो की स्वीकृत लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान आबंटन के क्रम में व्यय न किया जाये।
- (10) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय कुल ₹0 30,72,74,000/- (रूपये तीस करोड़ बहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

संख्या-685/2026/आई/1408523(1)/23-1-26/006-23-1002(002)/301/2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
- 6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
- 11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।